

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी राम निवास पुत्र श्री रामेश्वर लाल, निवासी 11 एलएनपी, ख्यालीवाला, श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता रामेश्वर लाल पुत्र श्री गणेश राम ने दिनांक 11.02.2022 को बंद वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 20.03.2022 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 11.02.2022 को रखवाई गयी बंद वसीयत को खोली जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान ओमप्रकाश पुत्र श्री पोखर राम और कन्हीराम पुत्र श्री रामस्वरूप ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री प्रवीण सोनी ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*